खेल विभाग, उत्तराखण्ड

''सिटीजन चार्टर''

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त राज्य में खेलों के उन्नयन तथा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु खेल निदेशालय उत्तराखण्ड की स्थापना वर्ष 2001 में की गयी और तब से खेल विभाग द्वारा खेलों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रार्यान्वित कर खेल के क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास किया गया है। खेल विभाग निरन्तर प्रदेश में खेलों को विकसित करने हेतु तत्पर रहा है। बड़ी संख्या में युवाओं की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खेलों के विकास में प्रशिक्षण व प्रतियोगिता कार्यक्रम मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। प्रशिक्षण योजनाओं में खेल छात्रावास तथा स्पोट्र्स कॉलेज मुख्य परिणामजनक योजनायें हैं और इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने में सफल रहे हैं। खेल योजनाओं को भली भॉति चलाने के लिए क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का उल्लेखनीय योगदान है। खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में क्रीड़ा अवस्थापनों की स्थापना की जा रही है। विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उन विभागों का सहयोग भी लिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग एवं राज्य के खेल संघों के साथ विशेष रूप से समन्वय स्थापित कर कार्य कर प्रतियोगिताएं एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। प्रदेश में कार्यरत् स्वायत्तशासी खेल संस्थाओं व आयोजकों का सहयोग भी प्रतियोगिताओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त किया जाता है। खेल विभाग में संचालित मुख्य योजनाओं का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

खेल विभाग की योजनाएं :

1– आवासीय स्पोट्र्स कॉलेज–

स्पोट्र्स कॉलेज– देहरादून (बालक वर्ग) एवं पिथौरागढ़ (बालक वर्ग)।

संचालित खेल–

स्पोट्र्स कॉलेज, देहरादून– फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वालीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जूडो एवं क्रिकेट।

स्पोट्र्स कॉलेज, पिथौरागढ़– एथलेटिक्स, बॉक्सिंग एवं फुटबॉल।

आवासीय स्पोट्र्स कॉलेजों में चयन प्रक्रिया– स्पोट्र्स कॉलेज द्वारा प्रतिवर्ष माह– अप्रैल से मई तक जिला एवं राज्य स्तरीय ट्रायल्स के माध्यम से चयन प्रक्रिया अपनायी जाती है। चयन हेतु बालको की आयु 10 वर्ष से कम तथा 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पोट्र्स कॉलेज में देय सुविधा –उक्तानुसार स्पोट्र्स कॉलेजों में खेलों में निःशुल्क खेल प्रशिक्षण प्राप्तकर रहे बालकों को शिक्षण हेतु कक्षा 6 से 12 तक कक्षाएं भी

संचालित की जा रही है। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, किट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

स्पोर्ट्स कॉलेज का पता, दूरभाष आदि का विवरण पृष्ठ संख्या – 33 पर दिया गया है।

2. आवासीय क्रीड़ा छात्रावासः–

इस योजना के अन्तर्गत देहरादून एवं हल्द्वानी (नैनीताल) में 02 आवासीय फुटबॉल बालक क्रीड़ा छात्रावास, पिथौरागढ़ में आवासीय बॉक्सिंग बालिका क्रीड़ा छात्रावास, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) में आवासीय बॉक्सिंग बालक क्रीड़ा छात्रावास एवं अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) में आवासीय एथलेटिक्स बालिका क्रीड़ा छात्रावास, पौड़ी गढ़वाल में आवासीय बैडमिन्टन बालक क्रीडा छात्रावास, हरिद्वार में आवासीय हॉकी बालिका क्रीड़ा छात्रावास, चमोली में आवासीय वॉलीबॉल बालक क्रीड़ा छात्रावास, टिहरी गढ़वाल में आवासीय बालक क्रिकेट क्रीड़ा छात्रावास, उत्तरकाशी में आवासीय फुटबॉल बालिका क्रीड़ा छात्रावास, ऊधमसिंह नगर में आवासीय एथलेटिक्स बालक क्रीड़ा छात्रावास, अल्मोड़ा में आवासीय बैंडमिंटन बालिका क्रीड़ा छात्रावास एवं टनकपुर (चम्पावत) में आवासीय बॉक्सिंग बालक क्रीड़ा छात्रावास संचालित है।

आवासीय छात्रावास में चयन प्रक्रिया–

विभाग द्वारा प्रतिवर्ष माह– अप्रैल/मई में जिला एवं राज्य स्तरीय ट्रायल्स के माध्यम से चयन प्रक्रिया अपनायी जाती है। चयन हेतु बालक/बालिका की आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए।

आवासीय छात्रावास में देय सुविधा–

चयनित खिलाड़ियों को विभाग द्वारा खेल प्रशिक्षण, आवासीय सुविधा, भोजन, खेल उपकरण, खेलकिट, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

जनपदों में छात्रावास एवं सीटों की संख्या से संबंधित विवरण पृष्ठ संख्या – 07 पर दिया गया है।

3. विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कारः–

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उललेखनीय सफलता अर्जित करने वाले विशिष्ट खिलाड़ियों को राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

- **देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार**

  प्रतिवर्ष खेल विभाग द्वारा राज्य के विशिष्ट खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिस हेतु रू0 5.00 लाख की धनराशि, 01 प्रशस्ति पत्र, 01 प्रतिमा एवं 01 ब्लेजर प्रदान की जाती है।

- **हिमालय रत्न खेल पुरस्कार**

प्रतिवर्ष खेल विभाग द्वारा राज्य के 06 खिलाड़ियों को हिमालय रत्न खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिस हेतु प्रत्येक खिलाड़ी को रू0 1.00 लाख की धनराशि, 01 प्रशस्ति पत्र, 01 प्रतिमा एवं 01 ब्लेजर प्रदान की जाती है।

- **देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार**

प्रतिवर्ष खेल विभाग द्वारा राज्य के 02 प्रशिक्षकों को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिस हेतु प्रत्येक प्रशिक्षक को रू0 3.00 लाख की धनराशि, 01 प्रशस्ति पत्र, 01 प्रतिमा एवं 01 ब्लेजर प्रदान की जाती है।

उक्त पुरस्कारों से संबंधित विवरण पृष्ठ संख्या – 26 से 31 तक दिया गया है।

4. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु प्रोत्साहन योजनाएं–

राष्ट्रीय टीम हेतु खेलकिट– राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों को खेल किट उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, जिसका पूर्ण विवरण पृष्ठ संख्या – 23 पर उल्लेखित है।

प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को आर्थिक सहायता (प्रतिपूर्ति)– राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों को व्यय पर हुयी प्रतिपूर्ति (भोजन, आवास, यात्रा, आनुसांगिक) किये जाने की व्यवस्था है, जिसका पूर्ण विवरण पृष्ठ संख्या – 23 पर उल्लेखित है।

प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को खेल प्रतियोगिताओं हेतु अनुदान– प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि द्वारा प्रदेशीय टीमों के चयन तथा खेलों की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जाती है तथा आवश्यकतानुसार इनके द्वारा खेल उपकरणों का क्रय भी किया जाता है। खेल संघों आदि की आर्थिक स्रोतों के अभाव में प्रतियोगिताओं का आयोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस योजना के अन्तर्गत प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इसके साथ ही संघों/खिलाड़ियों को खेल से संबंधित उपकरण भी प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिनका विवरण पृष्ठ संख्या– 20–22 पर उल्लेखित है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार– इस योजना के अन्तर्गत राज्य के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है। इस संबंध में पूर्ण विवरण पृष्ठ संख्या– 24–25 तक उल्लेख किया गया है।

5. प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजनः–

प्रतियोगिताएं– इस योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जनपद में अनेक खेलों की विभिन्न आयु वर्गो में जनपदीय, राज्य स्तरीय व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करायी

जाती है। इन प्रतियोगिताओं के आयेाजन से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्द्धा, अनुभव, उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयारी एवं प्रतियोगिता के दौरान की गयी त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। जनमानस में खेलों के प्रति जागरूकता एवं रूचि उत्पन्न करने हेतु प्रतियोगिता एक सशक्त माध्यम है।

प्रशिक्षण शिविर– इस योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जनपद में अनेक खेलों के स्थानीय प्रशिक्षण शिविर एवं विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु चयनित टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते है। इन विशेष प्रशिक्षण शिविरों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जनपदों में चयनित खिलाड़ियों को एक साथ अभ्यास करने तालमेल बिठाने तथा त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान करना है, ताकि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ी अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविर से संबंधित विवरण पृष्ठ संख्या – 11 से 19 पर दिया गया है।

7. **खिलाड़ियों को प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक–** राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों में यात्रा एवं अभ्यास के दौरान न्यूनतम 50 हजार से 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे संबंधित पूर्ण विवरण पृष्ठ संख्या– 32 पर दिया गया है।

8. **मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापनाः–** राज्य के खिलाड़ियों को पारदर्शी ढंग से अधिक से अधिक लाभ देने एवं गांव स्तर से प्रदेश स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों को चिह्नित कर खेलों में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय एवं परम्परागत खेलों को बढ़ावा दिया जाना है।

9. **नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी–** उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स से संबंधित समस्त कोर्सेस संचालित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गयी। राज्य सरकार द्वारा खेल विभाग के माध्यम से उक्त संस्थान को अनुदान प्रदान किया जाता है।

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का पता, दूरभाष आदि का विवरण पृष्ठ संख्या – 33 पर दिया गया है।

8. **पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान, मुनस्यारी, पिथौरागढ़–** नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कार्यों की भांति ही राज्य सरकार के अधीन खेल विभाग द्वारा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी स्थान पर पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है। इस संस्थान में भी बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू से संबंधित एडवेन्चर कोर्सेस संचालित किये जाते हैं।

उक्त संस्थान का पता, दूरभाष आदि का विवरण पृष्ठ संख्या – 33 पर दिया गया है।

9. अवस्थापना सुविधाओं का विकासः–

राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में स्टेडियम एवं इंडोरहाल का निर्माण कराये जाने की योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में क्रीड़ा अवस्थापना सुविधाओं स्थलों की स्थापना की जा रही है।

10. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्रतियोगिताएं एवं प्रशिक्षण शिविरः–

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कराये जाने का प्राविधान है, जिससे कि इन बालक/बालिकाओं को खेल की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

खेल विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

अ–शासन स्तरीय

क्रं सं	पदनाम	पदों की संख्या	
		कार्यरत	रिक्त
1.	सचिव/निदेशक खेल	–	–
2.	निदेशक/ अपर सचिव	01	–
	योग	**01**	–

ब–निदेशालय

क्रं सं	पदनाम	पदों की संख्या		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	समूह–क	06	03	03
2.	समूह–ख	05	02	03
3.	समूह–ग	12	06	06
4.	समूह–घ	03	02	01
	योग	**26**	**13**	**13**

स– क्षेत्र/जनपद स्तर

क्रं सं	पदनाम	पदों की संख्या		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	समूह–क	–	–	–
2.	समूह–ख	20	11	09
3.	समूह–ग	142	62	80
4.	समूह–घ	39	17	22
	योग	**201**	**90**	**111**
	महायोग –	**227**	**103**	**124**

आवासीय क्रीड़ा छात्रावास

आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजना खेल विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परिणाम देने वाली योजना है, जिसके अधीन प्रदेश के खिलाड़ियों को जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर चयन कर उनको विभिन्न खेलों में स्थापित छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है। इन छात्रावासों के खिलाड़ियों ने अपने–अपने खेल में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है।

इस योजना के अधीन स्थापित विभिन्न खेलों के आवासीय छात्रावास की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्रं सं.	खेल का नाम	वर्ग	स्थान	छात्रावास में निर्धारित खिलाड़ियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	फुटबॉल	बालक	देहरादून	25
2.	फुटबॉल	बालक	हल्द्वानी (नैनीताल)	25
3.	फुटबॉल	बालिका	उत्तरकाशी	20
4.	बॉक्सिंग	बालक	कोटद्वार (पौड़ी)	25
5.	बॉक्सिंग	बालक	चम्पावत	20
6.	बॉक्सिंग	बालिका	पिथौरागढ़	20
7.	एथलेटिक्स	बालिका	अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)	25
8.	एथलेटिक्स	बालक	ऊधमसिंह नगर	25
9.	बैडमिन्टन	बालक	पौड़ी	20
10.	बैडमिंटन	बालिका	अल्मोड़ा	20
11.	हॉकी	बालिका	हरिद्वार	25
12.	वॉलीबॉल	बालक	चमोली	20
13.	क्रिकेट	बालक	टिहरी गढ़वाल	20
14.	ताईक्वांडो	बालिका	बागेश्वर (वर्तमान में संचालित नहीं है।)	20

उत्तराखण्ड खेल नीति–2021

उद्देश्य

1. राज्य में उच्च नैतिक मूल्यों, साहचार्य की भावना, नेतृत्व की शक्ति द्वारा खेल संस्कृति को विकसित करना।
2. राज्य के युवाओं का E- culture से P- culture की ओर लेकर जाना।
3. खेलों में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना एवं नागरिकों को खेलों में प्रतिभाग किये जाने हेतु समान अवसर प्रदान करना।
4. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापनात्मक संरचनाओं को विकसित करना, रख–रखाव करना एवं उनका अनुकूलतम उपयोग करना।
5. प्रतिभावान खिलाड़ियों को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना एवं प्रोत्साहित करना।
6. राज्य में खेल भावना एवं खेल संस्कृति विकास हेतु अर्न्तविभागीय सहयोग से जागरूकता प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का संचालन।
7. शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने पर विशेष बल देना।
8. जीवंत युवा ऊर्जा को खेल गतिविधियों एवं शारीरिक योग्यता के माध्यम से सकारात्मक दिशा देना।
9. खेलों में उत्कृष्ट प्रर्दशन करने वाली प्रतिभाओं को पहचानना, तराशना एवं उन्हें उच्च स्तरीय प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करना उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना।
10. दिव्यांगों की विशेष जरूरतों की पहचान कर उनकी खेलों में अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं उन्हें खेल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
11. उत्तराखण्ड राज्य में साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करना एवं पर्यटन को आकर्षित करने हेतु विविध साहसिक खेल संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना।
12. राज्य को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की पदक तालिका में उच्च स्तर प्राप्त करने हेतु खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुये उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिशा प्रदान करना।
13. खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण हेतु स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
14. राज्य क्रीड़ा संघों को खेलों के विकास हेतु समुचित सहयोग एवं सुविधायें उपलब्ध कराना।
15. खेलों में वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाओं के साथ–साथ खेल विज्ञान के तथ्यों को सम्मिलित करना।

दृष्टिकोण

1. राज्य में खेलों का संवर्द्धन खेलों से जुड़े सभी घटकों यथा राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, संस्थायें, शैक्षिक संस्थान, पंचायत, खेल संघ एवं खिलाड़ी के समन्वित प्रयासों से प्राप्त किया जायेगा।
2. खेलों के उन्नयन हेतु अधोगामी तकनीकी का प्रयोग किया जायेगा। इसके अर्न्तगत स्थानीय खेल सुविधाओं के संवर्धन के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता–आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाने पर विशेष बल दिया जायेगा।
3. खेल विभाग, खेल सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ उन्हें जनसामान्य, खिलाड़ियों, महिलाओं, वेटरन एवं दिव्यांग खिलाड़ियों की सुलभ पहुँच हेतु आवश्यक कार्य करेगा।
4. खेल विभाग अपनी विभिन्न इकाइयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं खेल संघों के माध्यम से बाल्यकाल से ही खेल प्रतिभाओं को पहचानने का कार्य करेगा एवं प्रतिभा के सादृश्य खेल हेतु उन्हें प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रशिक्षण उनकें गृह क्षेत्र में एवं तृतीयक प्रशिक्षण उच्च स्तरीय चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध करायेगा।
5. सरकार खेलों को व्यावहारिक रोजगारपरक और अधिक आकर्षक अर्थक्षम बनाने हेतु एकीकृत व्यवस्था विकसित करेगी जिसमें खेल विकास की योजनाओं, उनकी पूर्ण परिभाषित संरचना के विश्वसनीय कार्यक्रम का समावेश किया जायेगा। इस हेतु खेल विभाग लक्ष्य मूलक एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेगा।
6. खेल विभाग द्वारा भारत सरकार के खेल मंत्रालय एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों को इस खेल नीति एवं खेल विभाग अर्न्तगत संचालित विभिन्न खेल योजनाओं के अर्न्तगत प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के परम्परागत खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु भी खेल विभाग अर्न्तगत योजना संचालित की जायेगी।
7. खेल विधाओं को प्रचलन के आधार पर तीन श्रेणीयों में परिभाषित किया जायेगा।
   (क) कोर खेल विधायें–ओलंम्पिक, एशियन खेल, राष्ट्रमण्डल खेल में खेले जानी वाली खेल विधाओं एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों से सम्बन्धित खेल विधायें।
   (ख) गैर कोर खेल विधायें– भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त खेल (भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त को छोड़कर)।
   (ग) परम्परागत खेल – राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर चिन्हित् परम्परागत खेल।
8. खेल विभाग योजना एवं कार्यक्रमों को अगले 5–10–15 वर्षो हेतु ऐसे परिणाममूलक संकेतांको को परिभाषित करेगा जो खेल विशेष आधारित होंगे जिनमें अगले 5–10–15 वर्ष में उन खेलों में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने हेतु संकेतांको को परिभाषित किया जाएगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों की ग्राम से राज्य स्तर तक के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी खेल संस्कृति का विकास हो सके एवं युवा ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिल सके।
10. राज्य में स्थान विशेष (भौगोलिक एवं खेल की लोकप्रियता) के आधार पर विभिन्न स्थानों पर, सम्बन्धित खेल को स्थानीय स्तर पर प्रश्रय दिया जाएगा एवं उस क्षेत्र को खेल विशेष के ***'हब'*** के रूप में विकसित किया जाएगा।
11. खेल विभाग से इतर अन्य विभागों यथा युवा कल्याण, पंचायत, शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं पुलिस आदि में उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं को उच्चीकृत करते हुए उनके जनसामान्य एवं खिलाड़ियों द्वारा अनुकूलतम उपयोग किए जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।
12. खेलों को प्रोत्साहित करने एवं खिलाड़ियों के मनोबल को और अधिक सुदृण करने हेतु खिलाड़ियों को उनके विभिन्न स्तर की उपलब्धियों के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा।
13. राज्य में खेल पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं इस हेतु चयनित स्थलों को खेल पर्यटन अनुरूप विकसित किया जाएगा।
14. विगत कुछ वर्षों में खेलों में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ा है अतः राज्य के खिलाड़ियों को खेल विज्ञान एवं उससे जुड़ी हुई तकनीकों की जानकारी हेतु ***'खेल विज्ञान केन्द्र'*** की स्थापना की जाएगी जिसमें खेलों के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एंव चिकित्सकीय पहलुओं पर प्रशिक्षण के साथ–साथ शोधकार्य भी किया जाएगा।
15. खेल क्षेत्र में रोजगार की बढती संम्भावनाओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित विभिन्न कार्य यथा खेल पत्रकारिता, खेल फोटोग्राफी, कमन्ट्रेटर, खेल प्रबंधन, एवं खेल सामग्रियों से जुड़े विनिर्माण आदि से जुड़े क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(1) खेल विभाग के समन्वय से राज्य/जिला स्तर की प्रतियोगिता एवं विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) – रू0 150.00
2. टीम के खिलाड़ियों/ऑफिशियल को आने–जाने का किराया– (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल) – वास्तविकता के आधार पर
3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/निर्णायक प्रति दिन)– रू0 100.00
4. उपकरण पर व्यय – रू0 2000.00
5. पुरस्कार पर व्यय (खिलाड़ियों हेतु) – रू0 10000.00
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय – रू0 5000.00
7. विविध व्यय – रू0 3000.00
8. अनुसांगिक व्यय (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/निर्णायक) (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु) – रू0 100.00
9. पुरस्कार (निर्णायकों हेतु) – रू0 3000.00

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताए

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) – रू0 150.00
   (200 कि0मी0 (पर्वतीय क्षेत्र) तक की दूरी से आने वाली टीमों को प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व व एक दिन बाद का तथा 200 कि0मी0 (पर्वतीय क्षेत्र) से ऊपर की दूरी से आने वाली टीमों को यात्रा अवधि का वास्तविकता के आधार पर भोजन भत्ता देय होगा)
2. टीम के खिलाड़ियों/ऑफिशियल को आने–जाने का किराया– वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)
3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल प्रतिदिन) – रू0 100.00
4. उपकरण पर व्यय – रू0 3000.00
5. पुरस्कार पर व्यय
   (क) प्रथम पुरस्का (प्रति खिलाड़ी) टीम/एकल खेल – रू0 500.00
   (ख) द्वितीय पुरस्कार (प्रति खिलाड़ी) टीम/एकल खेल – रू0 400.00
   (ग) तृतीय पुरस्कार (प्रति खिलाड़ी) एकल खेल – रू0 300.00
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय – रू0 5000.00

(शमियाना / कुर्सी / सौफा आदि)

7. विविध व्यय — रू0 7000.00
   (फोटोग्राफी / माईक / जलपान तथा अन्य व्यय)
8. अनुसांगिक व्यय (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु) — रू0 100.00
9. निर्णायकों हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार (प्रति निर्णायक) — रू0 500.00
10. निर्णायकों को आने–जाने का किराया — वास्तविकता के आधार पर
    (साधारण बस / स्लीपर श्रेणी रेल)
11. निर्णायकों को ऑफिसियेटिंग चार्जेज (प्रति निर्णायक / प्रतिदिन) — रू0 200.00

जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक प्रति दिन) — रू0 150.00
   (200 कि0मी0 (पर्वतीय क्षेत्र) तक की दूरी से आने वाली टीमों को प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व व एक दिन बाद का तथा 200 कि0मी0 (पर्वतीय क्षेत्र) से ऊपर की दूरी से आने वाली टीमों को यात्रा अवधि का वास्तविकता के आधार पर भोजन भत्ता देय होगा)
2. टीम के खिलाड़ियों / प्रशिक्षकों को आने–जाने का किराया– वास्तविकता के आधार पर
   (साधारण बस / स्लीपर श्रेणी रेल)
3. आवासीय सुविधा (प्रति खि0 / प्रशिक्षक प्रतिदिन) — रू0 100.00
4. उपकरण पर व्यय — रू0 2000.00
5. खेलकिट पर व्यय (प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक) — रू0 1000.00
   (ट्रैक सूट, वार्मअप शूज, मौजा एवं खेल के अनुरूप प्लेइंग किट)
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय — रू0 1500.00
7. अनुसांगिक व्यय (प्रति खिलाड़ी / ऑफिशियल / निर्णायक) — रू0 100.00
   (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि)
8. विविध व्यय– — रू0 1000.00
9. प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त विभागीय प्रशिक्षक
   से इतर प्रशिक्षक का मानदेय — रू0 3000.00
10. प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या — 25
11. प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रशिक्षक की संख्या — 01

राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक प्रति दिन) — रू0 150.00
2. टीम के खिलाड़ियों / प्रशिक्षकों को आने–जाने का किराया– वास्तविकता के आधार पर

(साधारण बस / स्लीपर श्रेणी रेल)

3.	आवासीय सुविधा (प्रति खि0 / प्रशिक्षक प्रतिदिन)	– रू0 100.00
4.	उपकरण पर व्यय	– रू0 2000.00
5.	खेलकिट पर व्यय (प्रति खिलाड़ी / प्रशिक्षक) (ट्रैक सूट, वार्मअप शूज, मौजा एवं खेल के अनुरूप प्लेइंग किट)	– रू0 1000.00
6.	उद्घाटन एवं समापन पर व्यय	– रू0 1500.00
7.	अनुसांगिक व्यय (प्रति खिलाड़ी / ऑफिशियल / निर्णायक) (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि)	– रू0 100.00
8.	विविध व्यय–	– रू0 1000.00
9.	प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त विभागीय प्रशिक्षक से इतर प्रशिक्षक का मानदेय	– रू0 3000.00
10.	प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या	– 25
11.	प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रशिक्षक की संख्या	– 02

(2) खेल विभाग में संचालित स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों हेतु देय सामग्रियों एवं सरकारी क्रीड़ागनों/ तरणतालों/ के आरक्षण की दरों से संबंधित विवरणः–

(क) खेल विभाग की अवस्थापना सुविधाओं हेतु आरक्षण शुल्क :–

क्र0 सं0	खेल अवस्थापना सुविधाएं (शुल्क प्रतिदिन की दर से)	वर्तमान में लागू शुल्क		प्रस्तावित शुल्क	
		श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (अन्य जगह)	श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (प्रदेश के शेष नगर)
1	2	3	4	5	6
	हॉकी/फुटबॉल मैदान (प्रति घास के मैदान)				
	1. स्थानीय/जिला स्तर	300.00	150.00	1000.00	500.00
	2. राज्य स्तर	800.00	500.00	2000.00	1000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	2350.00	1650.00	5000.00	3000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एस्ट्रोटर्फ एवं श्रेणी A+	9400.00	6250.00	15000.00	10000.00
2	**क्रिकेट मैदान (प्रति मैदान)**				
	1. स्थानीय/जिला स्तर	800.00	500.00	3000.00	2000.00
	2. राज्य स्तर	1600.00	800.00	5000.00	3000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	3100.00	1600.00	10000.00	8000.00
	4. टर्फ विकेट का अतिरिक्त शुल्क	800.00 प्रति दो घण्टे	400.00 प्रति दो घण्टे	2000.00	2000.00
	5. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर टर्फ विकेट एवं श्रेणी A+	31000.00	31000.00	25000.00	25000.00
	6. फ्लडलाइट	–	–	विद्युत बिल वास्तविता अनुसार	विद्युत बिल वास्तविता अनुसार
3	**एथलेटिक्स मैदान (प्रति मैदान)**				
	1. स्थानीय/जिला स्तर	1550.00	800.00	3000.00	2000.00
	2. राज्य स्तर	2000.00	1600.00	5000.00	3000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	6200.00	4700.00	10000.00	8000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, सिन्थैटिक ट्रैक एवं श्रेणी A+	15600.00	7800.00	30000.00	20000.00

क्र0 सं0	खेल अवस्थापना सुविधाएं (शुल्क प्रतिदिन की दर से)	वर्तमान में लागू शुल्क		प्रस्तावित शुल्क	
		श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (अन्य जगह)	श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (प्रदेश के शेष नगर)
1	2	3	4	5	6
4	कुश्ती / जूडो / ताईक्वांडो / कराटे हॉल (प्रति हॉल)				
	1. स्थानीय / जिला स्तर	650.00	500.00	2000.00	1500.00
	2. राज्य स्तर	1600.00	800.00	2500.00	2000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	3100.00	2400.00	5000.00	3000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं श्रेणी A+	9400.00	6300.00	12000.00	10000.00
5	वॉलीबॉल / कबड्डी / खो–खो / हैण्डबॉल / शूटिंगबॉल / नैटबॉल / तलवारबाजी कोर्ट (प्रति मैदान)				
	1. स्थानीय / जिला स्तर	250.00	150.00	1000.00	500.00
	2. राज्य स्तर	500.00	300.00	2000.00	1000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	2300.00	1500.00	5000.00	3000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं श्रेणी A+	6300.00	4700.00	10000.00	80000.00
6	बास्केटबॉल कोर्ट (प्रति कोर्ट)				
	1. स्थानीय / जिला स्तर	300.00	150.00	2000.00	1500.00
	2. राज्य स्तर	2400.00	1600.00	3000.00	2000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	2400.00	1600.00	5000.00	4000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं श्रेणी A+	8400.00	6300.00	12000.00	10000.0
7	बैडमिंटन / स्कवैश (कोर्ट प्रति कोर्ट)				
	1. स्थानीय / जिला स्तर	650.00	500.00	2000.00	1500.00
	2. राज्य स्तर	1600.00	800.00	4000.00	3000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	2400.00	1600.00	10000.00	8000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं श्रेणी A+	9400.00	6300.00	20000.00	10000.00
8	टेबल टेनिस (प्रति टेबल)				
	1. स्थानीय / जिला स्तर	500.00	300.00	1000.00	500.00
	2. राज्य स्तर	800.00	600.00	1200.00	800.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	2400.00	1600.00	3000.00	2000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तरएवं श्रेणी A+	9400.00	6300.00	5000.00	4000.00

क्र0 सं0	खेल अवस्थापना सुविधाएं (शुल्क प्रतिदिन की दर से)	वर्तमान में लागू शुल्क		प्रस्तावित शुल्क	
		श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (अन्य जगह)	श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (प्रदेश के शेष नगर)
1	2	3	4	5	6
9	**वेटलिफ्टिंग हॉल**				
	1. स्थानीय/जिला स्तर	500.00	300.00	3000.00	2000.00
	2. राज्य स्तर	1600.00	800.00	5000.00	3000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	2400.00	1600.00	10000.00	8000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं श्रेणी A+	9400.00	6300.00	15000.00	12000.00
10	**बॉक्सिंग रिंग**				
	1. स्थानीय /जिला स्तर	500.00	300.00	3000.00	1500.00
	2. राज्य स्तर	800.00	600.00	4000.00	3000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	2400.00	1800.00	8000.00	5000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं श्रेणी A+	15600.00	9400.00	20000.00	15000.00
11	पी0टी0/रैली (स्कूली) हेतु मैदान (प्रति दिन)	सरकारी स्कूलों हेतु कॉलम 03 एवं 04 की दरें लागू होंगी			
	1. स्थानीय/जिला स्तर	1600.00	800.00	5000.00	4000.00
	2. राज्य स्तर	3100.00	2400.00	8000.00	6000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	4700.00	3100.00	10000.00	8000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं श्रेणी A+	15600.00	9400.00	20000.00	15000.00
12	**तरणताल (प्रति दिन)**				
	1. स्थानीय/जिला स्तर	1600.00	800.00	5000.00	4000.00
	2. राज्य स्तर	3100.00	2400.00	10000.00	8000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	7800.00	6300.00	20000.00	15000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं श्रेणी A+	15600.00	15600.00	30000.00	25000.00
13	**मल्टीपरपज (हॉल प्रति दिन)**				
	1. स्थानीय/जिला स्तर	0.00	0.00	10000.00	5000.00
	2. राज्य स्तर	0.00	0.00	15000.00	12000.00
	3. राष्ट्रीय स्तर	0.00	0.00	20000.00	15000.00
	4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं श्रेणी A+	0.00	0.00	30000.00	25000.00
15	शुल्क की स्थिति में विद्युत एवं जलकर एवं साफ–सफाई शुल्क प्रति दिन।				
1	मल्टीपरपज क्रीड़ा हॉल के आरक्षण पर विद्युत शुल्क	0.0	0.0	वास्तविकता के आधार पर	
2	विभिन्न खेलों हेतु हॉल का विद्युत शुल्क	0.0	0.0	वास्तविकता के आधार पर	
3	प्रत्येक खेल मैदान/हॉल पर साफ–सफाई एवं जल कर (प्रतिदिन)	0.00	0.0	1000.00	1000.00

(ख) प्रशिक्षण शिविरों में प्रवेश करने वाले खिलाड़ियों हेतु प्रवेश शुल्क :–

क्र0 सं0	खेल अवस्थापना सुविधाएं	पंजीकरण / परिचय पत्र शुल्क	वर्तमान में लागू शुल्क		प्रस्तावित शुल्क	
			श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (अन्य जगह)	श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (प्रदेश के शेष नगर)
1	2	3	4	5	6	9
1	क्रिकेट / एथलेटिक्स / हॉकी / फुटबॉल / कुश्ती / भारोत्तोलन / वॉलीबॉल / बास्केटबॉल / हैण्डबॉल / कबड्डी आदि खेल (प्रतिवर्ष खिलाड़ी)	रू0 50.00	125.00	70.00	300.00	150.00
2	बैडमिंटन (प्रतिवर्ष खिलाड़ी)	रू0 50.00	500.00	300.00	1000.00	800.00
3	तैराकी (प्रतिमाह खिलाड़ी)	रू0 50.00	600.00	400.00	1500.00	1000.00
4	टी0टी / जूडो / लॉन टेनिस (प्रतिवर्ष खिलाड़ी)	रू0 50.00	150.00	100.00	1000.00	500.00
5	उत्तराखण्ड राज्य में निम्न लिखित स्तर के खिलाड़ियो अभ्यास हेतु निःशुल्क प्रवेश।					
	अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी	रू0 50.00	निःशुल्क			
	राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी	रू0 50.00	निःशुल्क			
	अखिल भारतीय अन्तर विश्व विद्यालय पदक विजेता खिलाड़ी	रू0 50.00	निःशुल्क			
	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी खिलाड़ी	रू0 50.00	निःशुल्क			
	राज्य स्तर पर विगत 02 वर्षो में पदक विजेता खिलाड़ी	रू0 50.00	निःशुल्क			
	08 से 14 वर्ष एवं 14 से 23 वर्ष के चयनित मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना से आच्छादित खिलाड़ी	रू0 50.00	निःशुल्क			

(ग) शौकीय खिलाड़ियों हेतु प्रवेश शुल्क

क्र0 सं0	खेल अवस्थापना सुविधाएं	वर्तमान में लागू शुल्क		प्रस्तावित शुल्क	
		श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (अन्य जगह)	श्रेणी–ए (जहां नगर निगम हो)	श्रेणी–बी (प्रदेश के शेष नगर)
1	2	3	4	5	6
1	बैडमिंटन/स्कवैश/टेनिस (प्रतिमाह प्रति सदस्य)	500.00	300.00	1000.00	800.00
2	अन्य इंडोर खेल (प्रतिमाह प्रति सदस्य)	400.00	200.00	1000.00	800.00
3	अन्य आउटडोर खेल (प्रतिमाह प्रति सदस्य)	300.00	150.00	1000.00	800.00
4	तैराकी (प्रतिमाह प्रति सदस्य)	800.00	500.00	2000.00	1500.00

आवश्यक निर्देश :–

1. जहां प्रतिभूति आवश्यक होगी वहां पर सुविधानुसार निदेशक खेल, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारण किया जायेगा, जो किसी भी दशा में ₹ 5000.00 से कम नहीं होगा।
2. किसी समय कोई भी आरक्षण निदेशक खेल, उत्तराखण्ड द्वारा बिना कारण बताये निरस्त/रद्द किया जा सकता है।
3. **श्रेणी A+ के अन्तर्गत देहरादून के मल्टीपरपज हॉल, फुटबॉल मैदान, हरिद्वार का हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान, न्यू मल्टीपरपज हॉल, नैनीताल हल्द्वानी का बैडमिन्टन, स्क्वैश, रूद्रपुर उधमसिंह नगर का बैडमिन्टन हॉल, ताइक्वांडो हॉल, बहुद्देशीय क्रीड़ा हॉल एवं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की समस्त खेल अवस्थापना सुविधाऐं**

   ***ए–श्रेणी** का तात्पर्य उन नगरों से है जहां नगर निगम स्थापित है। प्रदेश के अन्य जगह **बी–श्रेणी** में है।
4. स्वास्थ्य एवं रख–रखाव हेतु/अभ्यास हेतु शौकीय खिलाड़ियों को खेल उपकरण नहीं दिये जायेंगे तथा उन्हें प्रशिक्षण शिविर समयावधि से भिन्न निर्धारित समयावधि में ही खेलने की अनुमति होगी।
5. विद्युत/सफाई एवं स्टेडियम परिसर की सुरक्षा हेतु रिफण्डेबल जमानत निर्धारित देय आरक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। जिसे खेल उपकरण/खेल मैदान साफ सफाई सही अवस्था में पाये जाने पर वापस कर दिया जायेगा।
6. मान्यता प्राप्त भारतीय ओलम्पिक संघ, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड ओलम्पिक संघ (खेल संघ), जो कि प्रतियोगिता/प्रशिक्षण के आयोजन के लिए प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, उनको खेल अवस्थापना सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध होंगी। परन्तु जो खेल संघ प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेगें/या लेते हैं, को व्यावसायिक दर पर खेल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होगी।
7. भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं एवं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के लिए व्यवसायिक शुल्क लागू होगा। सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताऐं एवं राज्य सरकार के विभागों द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिताऐं निःशुल्क होंगी। परन्तु विद्युत, जलकर एवं साफ–सफाई उक्तानुसार निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।
8. पंजीकरण शुल्क एवं प्रवेश पास हेतु प्रत्येक खिलाड़ी को ₹ 50.00 जमा करना अनिवार्य होगा।
9. परिसर में फिल्म की शूटिंग एवं अन्य शूटिंग हेतु निम्नानुसार शुल्क देय होगा–
   (1) फिचर फिल्म रू0 50000.00
   (2) विज्ञापन शूटिंग रू0 30000.00

(3) विडियों शॉग/मुजिकल एलबम रू0 30000.00

(4) वृतचित्र रू0 20000.00

(5) स्टील फॉटो ग्राफी,थीम शॉट,प्री/पोस्ट वैडींग आदि रू0 5000.00

10. विभागीय अवस्थापना सुविधाओं के आरक्षण से प्राप्त शुल्क खेल विकास निधि में जमा किया जायेगा, जिसे अवस्थापना सुविधाओं के अनुरक्षण एवं खेलहित हेतु उपयोग में लिया जायेगा।

(3) राज्य की खेल संघों को प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं खेल/व्यक्तियों को खेल से संबंधित उपकर क्रय हेतु अनुदान की व्यवस्था।

श्रेणी–1– मान्यता प्राप्त खेल संघों को प्रतियोगिता कराने हेतु अनुदान–

1. यह अनुदान राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त (भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता) को उपलब्ध करायी जाएगी।
2. किसी राज्य स्तरीय संघ को एक बार अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् आगामी 02 वर्षों तक इस मद से अनुदान देय नहीं होगा, ताकि इस योजना का लाभ अधिकतम खेल संघों को प्राप्त हो सके।
3. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु अधिकतम रू0 3.50 लाख तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू0 2.50 लाख जबकि जिला स्तरीय आयोजन हेतु रू0 01.00 लाख अधिकतम अनुमन्य किए जा सकेगें। परन्तु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एकल प्रतिस्पर्द्धाओं एवं 05 या 05 से कम खिलाड़ियों वाली टीम प्रतियोगिताओं के लिए उक्त धनराशि आधी कर दी जाएगी।
4. यदि किसी संघ द्वारा एक साथ 03 या इससे अधिक (आयुवर्ग/महिला–पुरूष आदि) में उक्त प्रतियोगिता का आयोजन एक साथ किया जा रहा हो, तो उक्त धनराशि दो गुनी अनुमन्य होगी।
5. उक्त प्रयोजनार्थ प्रतियोगिता आयोजन से पूर्व निदेशक खेल को लिखित आवेदन करना होगा, जिसमें संघ की मान्यता संबंधित अभिलेख, आयोजन की तिथि, प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की अनुमानित संख्या एवं आयोजन पर अनुमानित व्यय का विवरण दिया जाएगा।
6. बजट में उपलब्ध धनराशि (मान्यता प्राप्त खेल संघों हेतु) में से न्यूनतम 20 प्रतिशत जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी, जिसका उपयोग यथासंभव अलग–अलग जनपदों एवं अलग–अलग खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु किया जाएगा। ताकि राज्य के प्रत्येक स्तर क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन प्राप्त हो। यदि जनपद स्तरीय संघों से कोई प्रस्ताव माह दिसम्बर तक प्राप्त नहीं होगा तो सम्पूर्ण धनराशि राज्य स्तरीय संघों के लिये अनुमन्य होगी।

श्रेणी–2– खेल समितियों एवं क्लबों को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदानः–

1. यह अनुदान मात्र उन पंजीकृत खेल समितियों/क्लबों को दिया जाएगा, जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हों–

(क) समिति/क्लब न्यूनतम 05 वर्षों से पंजीकृत हो और खेल प्रोत्साहन उसका प्राथमिक उद्देश्य हो।

(ख) समिति/क्लब का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत विधिवत् पंजीकरण हुआ हो और उसका अद्यतन नवीनीकरण हुआ हो।

(ग) समिति/क्लब के पदाधिकारियों का नियमित चुनाव हुआ हो और इसमें किसी प्रकार का विवाद न हो। निर्विवादित चुनाव का प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(घ) किसी भी क्लब/समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का स्तर न्यूनतम अन्तर्विकासखण्डीय हो। अनुमन्य राशि जिला स्तरीय प्रतियोगिता के समान होगी।

(ड.) किसी समिति/क्लब को तीन वर्ष में एक बार ही उक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

<u>श्रेणी–3– खिलाड़ियों को खेल उपकरण हेतु सहायता–</u>

इसका उद्देश्य प्रतिभावान एवं साधन विहीन खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के अनुकूल खेल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

(1) जिनकी पारिवारिक आय 06 लाख प्रतिवर्ष से कम होगी।

(2) खिलाड़ी द्वारा कम से कम राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया गया हो।

(3) खेल उपकरण हेतु किसी एक खिलाड़ी को उपकरण के मूल्य का 75 प्रतिशत एवं विकलांग खिलाड़ी की स्थिति में 90 प्रतिशत एवं अधिकतम रू0 2.50 लाख, जो भी कम हो, प्रदान किए जा सकते हैं। इस हेतु खिलाड़ी को उपकरण के मूल्य संबंधित न्यूनतम 03 कोटेशन आवेदन के साथ संलग्न करने आवश्यक होगें।

(4) किसी खिलाड़ी द्वारा एक बार उपकरण क्रय हेतु सहायता प्राप्त होने के पश्चात् यदि राष्ट्रीय पदक प्राप्त किया जाता है या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व प्रस्तावित हो, तो 02 वर्ष पश्चात् (पूर्व में दी गयी सहायता की तिथि से) पुनः उच्च स्तर के खेल उपकरण हेतु अनुदान दिया जा सकता है। उच्च स्तरीय अनुदान की राशि अधिकतम 04 लाख हो सकती है। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

(5) यदि किसी खिलाड़ी का चयन एशियाड, कॉमनवेल्थ खेल या ओलम्पिक अथवा किसी खेल विधा की विश्व चैंपियनशिप हेतु हो जाता है और उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के किसी खेल उपकरण की आवश्यकता हो, तो राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ऐसे खिलाड़ी को उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्ध एवं अनुमन्य सीमा में छूट देते हुए सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

(6) किसी भी खिलाड़ी को उपकरण क्रय हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि प्राप्ति के 03 माह के अन्दर उसके द्वारा क्रय किए गये उपकरण के साक्ष्य (बिल आदि), फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि धनराशि प्रदान करने के पश्चात् भी खिलाड़ी द्वारा उक्त

उपकरण क्रय नहीं किया जाता है, तो विभाग उक्त स्वीकृति आदेश निरस्त करते हुए उससे प्रदत्त धनराशि ब्याज सहित (10 प्रतिशत की दर से) वसूल करने हेतु अधिकृत होगा।

(4) राज्य की टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने हेतु खेलकिट एवं व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था

विभाग द्वारा राज्य की टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने हेतु मान्यताप्राप्त राज्य खेल संघों के विभाग में आवेदन के आधार पर शासनादेशानुसार रू0 5000.00 तक की धनराशि का खेल किट प्रदान किया जाता है, जिसमें ट्रैकसूट, जूता, मोजा, खेल विशेष किट प्रदान किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता, भोजन, आवास आदि से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति (किराया, भोजन आदि) भी संबंधित संघों को की जाती है।

उक्तानुसार सुविधाएं प्राप्त किये जाने हेतु राज्य स्तरीय खेल संघ पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर खेल निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। खेल निदेशालय द्वारा शासनादेशानुसार परीक्षण करते हुए सही पाये जाने की दशा में संबंधित खेल के टीमों हेतु खेल किट एवं प्रतियोगिता में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(5) राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने पर नकद पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था

विभाग द्वारा राज्य के खिलाड़ी, जिनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पदक एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग/पदक अर्जित करने पर विभाग द्वारा न्यूनतम रू0 10 हजार से लेकर अधिकतम रू0 02.00 करोड़ तक की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। खिलाड़ी द्वारा एक से अधिक पदक अर्जित करने पर पुरस्कार धनराशि दुगुना वृद्धि हो जाती है। खिलाड़ियों के साथ ही इनके प्रशिक्षकों को भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जितनी पुरस्कार धनराशि खिलाड़ी को प्राप्त होती है, उसकी 50 प्रतिशत धनराशि खिलाड़ी के प्रशिक्षक को पुरस्कार प्रदान की जाती है। पुरस्कार निम्न तालिकानुसार प्रदान की जा रही है–

क्र0सं0	टूर्नामेन्ट्स/चैम्पियनशिप	पदक	धनराशि (खिलाड़ियों हेतु)
01	ओलपिक खेल	स्वर्ण रजत कांस्य प्रतिभाग	2,00,00,000 1,50,00,000 1,00,00,000 50,00,000
02	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप	स्वर्ण रजत कांस्य प्रतिभाग	30,00,000 20,00,000 15,00,000 7,50,000
03	एशियन खेल	स्वर्ण रजत कांस्य प्रतिभाग	30,00,000 20,00,000 15,00,000 7,50,000
04	राष्ट्रमण्डल खेल	स्वर्ण रजत कांस्य प्रतिभाग	20,00,000 15,00,000 10,00,000 5,00,000
05	एशियन चैम्पियनशिप	स्वर्ण रजत कांस्य	12,00,000 8,00,000 6,00,000
06	कॉमनवैल्थ चैंम्पियनशिप	स्वर्ण रजत कांस्य	6,00,000 4,00,000 3,00,000

07	सैफ खेल	स्वर्ण रजत कांस्य	6,00,000 4,00,000 3,00,000
08	राष्ट्रीय खेल	स्वर्ण रजत कांस्य	6,00,000 4,00,000 3,00,000
09	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स/वर्ल्ड स्कूल गेम्स/वर्ल्ड पुलिस गेम्स	स्वर्ण रजत कांस्य	2,00,000 1,00,000 75,000
10	अन्तर्राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप (सभी आयु वर्ग)	स्वर्ण रजत कांस्य	75,000 50,000 25,000
11	राष्ट्रीय स्कूल खेल/खेलो इण्डिया प्रतियोगिताएं/राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव/अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं	स्वर्ण रजत कांस्य	30,000 20,000 10,000
12	ऑल इण्डिया विश्व विद्यालय टूर्नामेन्टस/चैम्पियनशिप/खेलों इण्डिया विश्व विद्यालय प्रतियोगिताएं	स्वर्ण रजत कांस्य	30,000 20,000 10,000
13	राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताएं/अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं	स्वर्ण रजत कांस्य	30,000 20,000 10,000
14	राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप (सभी आयु वर्ग)	स्वर्ण रजत कांस्य	30,000 20,000 10,000

जूनियर, यूथ, सबजूनियर एवं कैडेट हेतुः–

क्र0 सं0	वर्ग का नाम	पुरस्कार राशि
1	2	3
1	जूनियर एवं यूथ हेतु	सीनियर वर्ग की राशि का आधा भाग
2	सबजूनियर, कब एवं कैडेट	सीनियर वर्ग की राशि का एक चौथाई भाग

टीम स्पर्धाओं हेतु कैटेगरी

टीम स्पर्धाओं के लिए एक से अधिक सदस्यों की प्रतिभागिता हो, उन्हें उपरोक्त तालिका में ईवेन्ट, स्तर, पदक तथा कैटैगरी में वर्णित पुरस्कार राशि निम्न अनुपात के अनुसार टीम के सभी सदस्यों को बराबर – बराबर बॉटकर दी जायेगी–

क्र. सं0	टीम में खिलाड़ियों की संख्या	व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दिये जाने वाले पुरस्कार की राशि का गुणांक
1	02 सदस्य	1.5 गुणा
2	03 अथवा 04 खिलाड़ी	02 गुणा
3	05 से 10 खिलाड़ी	03 गुणा
4	10 से ज्यादा खिलाड़ी	05 गुणा

(6) राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था

1. देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार

(1) यह राज्य के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होगा, जो सामान्यतः प्रतिवर्ष किसी एक खिलाड़ी को प्रदान किया जायेगा, परन्तु यदि शासन स्तरीय समिति किसी वर्ष विशेष में किसी भी खिलाड़ी को इस पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाती है, तो उस वर्ष किसी को यह पुरस्कार न देने का निर्णय ले सकती है या किसी वर्ष विशेष में 01 से अधिक खिलाड़ी उपयुक्त पाये जाते हैं, तो समिति उक्त पर भी निर्णय ले सकती है।

(2) पुरस्कार किसी खिलाड़ी को उसकी विगत 01 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जाएगा, उपलब्धियों का मापदण्ड खिलाड़ी द्वारा **प्रस्तर–(घ)मूल्यांकन/अंक तालिका** में दी गयी अंक प्रणाली में अर्जित अंकों का योग होगा।

(3) निदेशालय द्वारा सामान्यतः जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में पुरस्कारों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जांएगे, जो विगत 01 कलैण्डर वर्ष की उपलब्धियों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर होंगे।

(4) निदेशालय स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार के प्रथम पांच नामों की सूची शासन स्तर पर प्रेषित की जाएगी।

(5) देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार ओलम्पिक एवं एशियाड से सम्बन्धित ऐसे खेलों के खिलाड़ियों को ही प्रदान किया जायेगा, जिनकी मान्यता सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय APEX खेल निकाय द्वारा कम से कम पांच वर्ष पूर्व दी गयी है।

(6) देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख, 01 प्रशस्ति पत्र, 01 प्रतिमा एवं 01 ब्लेजर प्रदान किया जायेगा।

(7) देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ एव राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता ही मान्य होगी।

(8) पुरस्कार चयन हेतु राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

2. हिमालय रत्न खेल पुरस्कार –

(1) प्रतिवर्ष कुल 06 खिलाड़ियों को हिमालय रत्न खेल पुरस्कार प्रदान किये जायेंगें, जिनमें से 02 टीम स्पर्धाओं हेतु तथा 01 दिव्यांग/विकलांग खेलों के खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। शेष 03 पुरस्कार सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों को दिया जायेगा। किसी भी खिलाड़ी को केवल एक बार ही यह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(2) इसके अन्तर्गत रू0 1.00 लाख, 01 प्रशस्ति पत्र, 01 प्रतिमा तथा 01 ब्लेजर खिलाड़ी को प्रदान किया जाएगा।

(3) पुरस्कार किसी खिलाडी को उसकी विगत 01 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जायेगा, चयन प्रक्रिया व अंक प्रणाली **(घ) मूल्यांकन/अंक तालिका** के अनुसार होगी, परन्तु (दिव्यांग/विकलांग) एकल खेल एवं टीम खेलों के लिए अलग–अलग वरीयता सूची तैयार होगी और सर्वप्रथम 01 दिव्यांग/विकलांग व 02 टीम खेलों के खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा। शेष तीन स्थानों के लिये उक्त तीनों सामान्य श्रेणियों में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को चयनित किया जा सकेगा।

(4) निदेशालय स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी उपरोक्त दोनों श्रेणियों के 05–05 सर्वोच्च अंक धारकों की सूची शासन स्तर के स्क्रीनिंग कमेटी को प्रेषित करेगी। यदि 5वें स्थान के लिये 01 से अधिक खिलाड़ी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो सभी का नाम शासन को उक्त सूचियों में भेजा जायेगा।

(5) हिमालय रत्न खेल पुरस्कार हेतु राष्ट्रीय खेल एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ मान्य होगी।

3. देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार–

(1) यह पुरस्कार उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत रू. 3.00 लाख, 01 प्रशस्ति पत्र, 01 प्रतिमा एवं 01 ब्लेजर प्रदान किया जायेगा।

(2) देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार 02 श्रेणियों में प्रदान किया जायेगा। प्रथम पुरस्कार के लिये प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों द्वारा विगत 03 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर तथा दूसरा पुरस्कार लाईफटाईम के लिये दिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जीवन पर्यन्त (Life time) अर्जित श्रेष्ठतम 10 प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों की उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा। आवेदक प्रशिक्षक द्वारा स्वयं आवेदन में मात्र इन्हीं 10 उपलब्धियों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(3) उत्तराखण्ड के वे प्रशिक्षक, चाहे वे राजकीय सेवा में हो या निजी क्षेत्र में कार्यरत् हों, हेतु प्रथम पुरस्कार तभी प्रदान किया जायेगा, जब इस बात की साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि हो जाये कि प्रशिक्षक के प्रशिक्षुओं ने विगत 03 वर्षों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है तथा द्वितीय पुरस्कार तभी प्रदान किया जायेगा, जब इस बात की साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि हो जाय कि जीवन पर्यन्त (Life time) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है और प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को गौरवान्वित किया है।

(4) द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिये आवेदनकर्ताओं के अंकों की गणना उनके प्रशिक्षुओं को **तालिका प्रस्तर–घ** की अंक प्रणाली से किया जायेगा। किसी भी खिलाड़ी द्वारा प्राप्त पदक प्रमाण–पत्र के साथ सम्बन्धित प्रशिक्षक द्वारा उसे उस वर्ष में न्यूनतम 180 दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने का रू. 10.00 के स्टाम्प पेपर (नोटरी द्वारा प्रमाणित) में दिया जाना अनिवार्य होगा।

(5) यदि किसी अवधि में 01 पदक विजेता खिलाड़ी को 01 से अधिक प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो, तो खिलाड़ी को प्राप्त अंको का विवरण सभी प्रशिक्षकों में बराबर विभाजित किया जायेगा।

(6) किसी वर्ष में यदि शासन स्तरीय समिति किसी भी एक से अधिक प्रशिक्षक को उपयुक्त नहीं पाती है, तो वह पुरस्कार उस वर्ष हेतु नहीं दिया जायेगा।

(7) जिस भी खिलाड़ी या प्रशिक्षक द्वारा प्रदान की गयी सूचना यदि कालान्तर में किसी भी समय असत्य पायी जाती है अथवा उसका कोई भी अंश असत्य सिद्ध होता है, तो दोनों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी तथा दोनों में से किसी को भी पूर्व में विभाग द्वारा किसी भी पुरस्कार स्वरूप दी गयी धनराशि वापस प्राप्त कर ली जायेगी। इस प्रकार की Unethical practices के लिये प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी दोनों का विभागीय स्तर पर पूर्ण बहिष्कार किया जायेगा।

(8) लाईफटाईम द्रोणाचार्य पुरस्कार की श्रेणी हेतु किसी भी प्रशिक्षक पुरस्कार के लिये उसकी 10 श्रेष्ठतम उपलब्धियों की गणना को मूल्यांकित किया जायेगा।

(9) किसी प्रशिक्षक जिसे देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार पूर्व में प्राप्त हो गया हो, उसके नाम पर पुनः द्रोणाचार्य पुरस्कारों की किसी भी श्रेणी हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(10) देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं ही मान्य होगी। यदि कोई प्रतियोगिता 02 वर्ष अथवा 04 वर्ष पश्चात् आयोजित की जाती है, तो उसे उसके पदक में अंक प्रणाली **(घ) मूल्यांकन/अंक तालिका** के अनुसार 01 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा।

(11) प्रशिक्षक का आशय ऐसे व्यक्तियों से है, जो मान्यता प्राप्त खेल संस्थानों से खेल में 01 वर्षीय डिप्लोमाधारी या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स अथवा संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ से प्रशिक्षक के प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र धारक हो।

(घ) मूल्यांकन/अंक तालिका –

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	अंकों का निर्धारण		
		क्र.सं.	पदक/प्रतिभाग	निर्धारित अंक
1	2	3	4	5
1.	ओलम्पिक	1.	स्वर्ण पदक	09 अंक
		2.	रजत पदक	08 अंक
		3.	कांस्य पदक	07 अंक

		4.	प्रतिभाग	06 अंक
2.	विश्व कप / चैंपियनशिप	1.	स्वर्ण पदक	08 अंक
		2.	रजत पदक	07 अंक
		3.	कांस्य पदक	06 अंक
		4.	प्रतिभाग	05 अंक
3.	एशियाई खेल	1.	स्वर्ण पदक	07 अंक
		2.	रजत पदक	06 अंक
		3.	कांस्य पदक	05 अंक
		4.	प्रतिभाग	04 अंक
4.	राष्ट्रमण्डल खेल	1.	स्वर्ण पदक	06 अंक
		2.	रजत पदक	05 अंक
		3.	कांस्य पदक	04 अंक
		4.	प्रतिभाग	03 अंक
5.	एफ्रो–एशियन खेल / एशियन चैंपियनशिप / राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप / एफ्रो–एशियन चैंपियनशिप	1.	स्वर्ण पदक	05 अंक
		2.	रजत पदक	04 अंक
		3.	कांस्य पदक	03 अंक
		4.	प्रतिभाग	02 अंक
6.	सैफ खेल / चैंपियनशिप	1.	स्वर्ण पदक	04 अंक
		2.	रजत पदक	03 अंक
		3.	कांस्य पदक	02 अंक
		4.	प्रतिभाग	01 अंक
7.	राष्ट्रीय खेल	1.	स्वर्ण पदक	03 अंक
		2.	रजत पदक	02 अंक
		3.	कांस्य पदक	01 अंक

निर्धारित न्यूनतम अंक –

क्र. सं.	पुरस्कार	निर्धारित न्यूनतम अंक
1.	देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार (01 वर्ष की उपलब्धियों हेतु)	अंक तालिकानुसार न्यूनतम 05 अंक
2.	हिमालय रत्न खेल पुरस्कार (01 वर्ष की उपलब्धियों हेतु)	अंक तालिकानुसार न्यूनतम 03 अंक
3.	देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार (03 वर्ष की उपलब्धियों हेतु)	अंक तालिकानुसार न्यूनतम 10 अंक

4.	देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार (10 वर्ष की श्रेष्ठतम उपलब्धियों हेतु)	अंक तालिकानुसार न्यूनतम 20 अंक

4. उक्तानुसार देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार एवं देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक में आधा अंक कम हो, तो उसे पूर्ण अंक मानते हुए पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

6. उक्त पुरस्कारों में से देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार (01 वर्ष की उपलब्धि) एवं देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार (03 वर्ष की उपलब्धि) हेतु सर्वप्रथम उच्च स्तर **(मूल्यांकन/अंक तालिकानुसार)** की प्रतियोगिताओं की उपलब्धियों को मूल्यांकन हेतु लिया जायेगा, यदि इस स्तर पर आवेदनकर्ता समान अंक प्राप्त कर रहे हों, तो अगली समान अथवा अवरोही क्रम में प्रतियोगिताओं की उपलब्धियों को मूल्यांकन में लिया जायेगा, यह क्रम तब तक चलता रहेगा, जब तक आवेदनकर्ता उच्च अंक प्राप्त नहीं कर लेता है, किन्तु समस्त स्तर की प्रतियोगिताओं में ओलम्पिक स्तर की प्रतियोगिता को वरीयता प्रदान की जायेगी।

सामान्य निर्देश :–

1. उत्तराखण्ड खेल निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा संघों/खिलाड़ियों से राज्य की **खेल नीति–2021 में प्रख्यापित कोर खेल विधाओं में** खिलाड़ियों को पुरस्कृत किये जाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष आवेदन एवं संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर मांगी जायेगी।
2. आवेदक द्वारा **निर्धारित प्रारूप** पर निदेशक, खेल को समस्त प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन करना होगा।
3. आवेदक द्वारा **अर्जित समस्त खेल उपलब्धियों के प्रमाण** पत्रों की छायाप्रतियां संबंधित **मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ से प्रमाणित** कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराना होगा।
4. यदि कोई खिलाड़ी सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय **रिकार्ड के साथ पदक** प्राप्त करता है, तो वह देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न एवं हिमालय रत्न खेल पुरस्कार के लिए पात्र होगा तथा खिलाड़ी का प्रशिक्षक देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु पात्र होगा। इस हेतु संबंधित को 01 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा।
5. उपरोक्त पुरस्कार उन खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को दिया जायेगा, जिनकी संस्तुति राज्य क्रीड़ा संघ द्वारा की गयी हो तथा वे उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी हों।

6. खिलाड़ी/प्रशिक्षक, जिन्होंने सीनियर अथवा जूनियर वर्ग में मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, जिनका उल्लेख उक्तानुसार प्रस्तर **(घ) मूल्यांकन/अंक तालिका** में किया गया है, में पदक अर्जित किया हो अथवा भाग लिया हो, उन्हीं को मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा।
7. खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु राष्ट्रीय टीम के चयन से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, वह खिलाड़ी ही पुरस्कार हेतु संज्ञान में लिये जायेंगे।
8. एक बार देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुनः देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न या हिमालय रत्नखेल पुरस्कार हेतु नामांकित नहीं किया जायेगा। वह भविष्य में देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु अर्ह होगा। इसके अतिरिक्त हिमालय रत्न खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी पुनः देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न या देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कारों हेतु अर्ह होगा।
9. पुरस्कारों हेतु मात्र अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल संघों की 04 वर्ष, 02 वर्ष, 01 वर्ष में 01 बार आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की उपलब्धियों को ही मापक अंकों में गिना जायेगा। यूथ/जूनियर प्रतियोगिताओं के लिए उक्त मापक अंक 1/2 (आधा) अंक तथा कैडेट/सब जूनियर के लिए एक चौथाई (1/4) अंक निर्धारित होगी।
10. यदि मूल्यांकन में आवेदकों की संख्या दो या दो से अधिक होती है, तो मूल्यांकन के पश्चात् समान अंक हों तो उच्च स्तर की प्रतियोगिता में जिस खिलाड़ी द्वारा अधिक बार पदक प्राप्त/प्रतिभाग किया होगा, उसके नाम पर **गठित स्क्रीनिंग समिति** द्वारा विचार किया जायेगा।
11. आवेदनकर्ता द्वारा निम्न तथ्यों के संबंध में शपथपत्र देना अनिवार्य होगा –
    1. आवेदक द्वारा किसी भी प्रतियोगिता/चैंपियनशिप/खेल आयोजनों में मादक पदार्थों का सेवन किये बिना ही प्रतिभाग किया गया है।
    2. वह मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में दोषी नहीं ठहराया गया है।
    3. वह यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी आरोप में दोषी नहीं ठहराया गया है।

(7) राज्य के खिलाड़ियों को दुर्घटना आर्थिक सहायताः–

आर्थिक सहायता क्षेत्रः–

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभागिता हेतु यात्रा के दौरान दुर्घटना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों में खेल अभ्यास के दौरान दुर्घटना।

आर्थिक सहायता की धनराशिः–

(1) मृत्यु होने की दशा में– रू0 5.00 लाख प्रति खिलाड़ी।

(2) स्थाई दिव्यांगता –

(क) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता –रू0 4.00 लाख।

(ख) 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता –रू0 2.00 लाख।

(3) गम्भीर चोट का उपचार–रू0 5000.00 प्रतिदिन, अधिकतम रू0 1.00 लाख।

(4) बीमारी/साधारण चोट–रू0 50,000.00 अधिकतम अथवा वास्तविकता पर।

खेल विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित खेल संस्थाएं आदि

संस्था	पता	फोन एवं ईमेल	वेबसाईट
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज	महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून	Tel: 0135-2788142 E-mail: mpsportscollege@gmail.com	http://mpscollege.in
हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज	स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़	–	http://mpscollege.in
पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान	पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	Mrs Reena Kaushal Dharmshaktu Mob- 9958920466 Email- (1) pnssmati[at]gmail.com (2) needhelp[at]pnssmti.com	https://ptnainsinghmountaineeringinstitute.com
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी	01374 - 223344 (Principal) 01374 - 222123 (Registrar) 01374 - 297297 (Training) Fax 01374 - 223344 WhatsApp No - 7060 717 717 Email Id - nimutk2004@gmail.com (Training) principal-nim@uk.gov.in (Principal)	https://www.nimindia.net

खेल विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

क्र. सं.	जनपद/कार्यालय	लोक सूचनाधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4
1	खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड	उप निदेशक खेल	निदेशक खेल
2	अल्मोड़ा	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
3	बागेश्वर	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
4	चमोली	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
5	चम्पावत	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
6	हरिद्वार	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
7	देहरादून	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
8	नैनीताल	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
9	पौड़ी गढ़वाल	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
10	पिथौरागढ़	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
11	रूद्रप्रयाग	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
12	टिहरी गढ़वाल	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
13	ऊधमसिंह नगर	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी
14	उत्तरकाशी	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिलाधिकारी

खेल विभाग के अन्तर्गत सी0एम0 हैल्पलाईन के विभिन्न स्तर के अधिकारियों का विवरण

L1 स्तर	L2 स्तर	L3 स्तर	L4 स्तर
जनपदों के जिला क्रीड़ाधिकारी	जनपदों के जिला क्रीड़ाधिकारी	निदेशक खेल, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड स्तर के पद

पदनाम		स्वीकृत पद
1. निदेशक खेल	–	01
2. संयुक्त निदेशक खेल	–	02
3. उप निदेशक खेल	–	03
4. सहायक निदेशक	–	04
5. वित्त अधिकारी	–	01
6. सहायक लेखाधिकारी	–	01
7. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	–	01
8. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	–	01
9. प्रशासनिक अधिकारी	–	01
10.आशुलिपिक	–	01
11.प्रधान सहायक	–	02
12.वरिष्ठ सहायक	–	04
13.कनिष्ठ सहायक	–	04
14.वाहन चालक	–	01
15.अनुसेवक	–	02
16.चौकीदार	–	01

जनपद स्तर के पद

क्र0 सं0	पदनाम		सृजित पद
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	—	03
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	—	03
3	जिला क्रीड़ाधिकारी	—	13
4	उप क्रीड़ाधिकारी	—	27
5	प्रशासनिक अधिकारी	—	03
6	सहायक प्रशिक्षक	—	60
7	प्रधान सहायक	—	07
8	वरिष्ठ सहायक	—	10
9	लाईफ गार्ड	—	04
10	इलेक्ट्रीशियन कम ट्यूबवेल ऑपरेटर	—	13
11	कनिष्ठ सहायक	—	11
12	वार्डन	—	06
13	अनुसेवक	—	09
14	चौकीदार	—	05
15	ग्राउण्ड स्टाफ	—	11
16	सहायक माली	—	05
17	अर्दली	—	01
18	स्वच्छक	—	03
19	स्वच्छक कम चौकीदार	—	05

खेल विभाग, उत्तराखण्ड के अधीनस्थ जनपदीय कार्यालय

जनपद	विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष	पता	दूरभाष एवं ईमेल
निदेशालय	निदेशक खेल	खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड पवेलियन ग्राउण्ड, देहरादून	0135-2710765 directorsprts1@gmail.com
अल्मोड़ा	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, खत्याड़ी, अल्मोड़ा	0592-232177 districtsportsofficeralmora@gmail.com
बागेश्वर	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, कठायतबाड़ा, बागेश्वर	05963-221546 dsobgr123@gmail.com
चमोली	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोपेश्वर, चमोली	01372-253926 sportsgpr@gmail.com
चम्पावत	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, पुराना जजी कार्यालय भवन, चम्पावत	05965-230431 dsocmp30@gmail.com
हरिद्वार	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोशनाबाद, हरिद्वार।	01334-239048 dsoharidwar2442@gmail.com
देहरादून	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, पवेलियन ग्राउण्ड, देहरादून	0135-2653848 dsodehradun@gmail.com
नैनीताल	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, हल्द्वानी, नैनीताल	05946-220883 rso.haldwani@gmail.com
पौड़ी गढ़वाल	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, कण्डोलिया, पौड़ी गढ़वाल	01368-222457 adsportsgarhwal@gmail.com
पिथौरागढ़	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, टकाना, पिथौरागढ़	05964-225606 sportsofficepth@yahoo.com
रूद्रप्रयाग	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	01364-286974 sportsofficerpg@gmail.com
टिहरी गढ़वाल	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	01378-227275 dsonnagar@gmail.com
ऊधमसिंह नगर	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	05944-250657 sportsstadiumus@gmail.com
उत्तरकाशी	जिला क्रीड़ाधिकारी	जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा स्टेडियम, उत्तरकाशी	05964-225606 sportsofficeruki@gmail.com

संपर्क सूत्र–

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर,

रायपुर, देहरादून

दूरभाष– 0135–2781414

ईमेल– **directorsprts1@gmail.com**